



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65161

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 8330 वर्ष 2026

संतोष पाण्डेय

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	: अमित कुमार सिंह, हरबंश प्रसाद पाण्डेय
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री हरबंश प्रसाद पाण्डेय तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित श्री बी.पी. मौर्य, ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 483 के अंतर्गत, आवेदक संतोष पाण्डेय की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुकदमा अपराध संख्या 34 वर्ष 2026, धारा 8/20/21/29/60 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, थाना गीडा, जनपद गोरखपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनावश इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि कुल सात व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 770 ग्राम ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक वीड (ओ.जी.) एवं 1.025 किलोग्राम स्मैक/हेरोइन दो वाहनों से बरामद होना दर्शाया गया है। एक वाहन में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तीन व्यक्ति तथा दूसरे वाहन में चार व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। यह भी कहा गया है कि सह-अभियुक्त राहुल दुबे को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 18.03.2026 को पारित आदेश, आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 8270 वर्ष 2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा अन्य सह-अभियुक्त सैम तिवारी उर्फ विपुल तिवारी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2026 को पारित आदेश, आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 2103 वर्ष 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी निवेदन किया गया है कि पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 एवं 52-ए के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है तथा आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त राहुल दुबे से भिन्न नहीं है। आवेदक दिनांक 25.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा यह आश्वासन देता है कि जमानत पर रिहा होने पर स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालयों में वादों की अत्यधिक लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से प्रस्तुत ए.जी.ए. द्वारा जमानत प्रार्थना का विरोध किया गया तथा यह निवेदन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 770 ग्राम ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक वीड (ओ.जी.) एवं 1.025 किलोग्राम स्मैक/हेरोइन दो वाहनों से बरामद होना दर्शाया गया है, जिनमें एक वाहन में तीन व्यक्ति तथा दूसरे में चार व्यक्ति यात्रा कर रहे थे।

5. अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि सह-अभियुक्त राहुल दुबे को समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। कुल सात व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उपर्युक्त मात्रा में मादक पदार्थ दो वाहनों से बरामद होना दर्शाया गया है। दोनों वाहनों में तीन-तीन व्यक्तियों के यात्रा करने का उल्लेख है तथा सातवाँ व्यक्ति घटनास्थल से फरार होना बताया गया है। आवेदक दिनांक 25.01.2026 से निरुद्ध है।

6. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, आरोपों की प्रकृति तथा साक्ष्यों का सम्यक् विचार करते हुए तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 को ध्यान में रखते हुए, बिना वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



व्यक्त किए, न्यायालय यह पाता है कि जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।

7. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **संतोष पाण्डेय** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में, 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर, (i) वाद के उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत कथन के अभिलेखन के समय, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह उपबंध प्रस्तुत करेगा कि जब साक्ष्य के लिए तिथि नियत हो और साक्षी उपस्थित हों, तब वह किसी प्रकार का स्थगन आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक सीमित रहेगी तथा वाद के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं मानी जाएगी। विचारण न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

दिनांक : 26 मार्च, 2026

कुमार मनीष

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”